



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 1, 2013/श्रावण 10, 1935

No. 387]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 2013/SHRAVANA 10, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2013

सा.का.नि. 523(अ).—व्यापार चिह्न नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का, जिसको केन्द्रीय सरकार व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा-157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, निम्नलिखित प्रारूप उक्त धारा की उप-धारा (4) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, उस तारीख से, जिसको राजपत्र जिसमें अधिसूचना अंतर्विष्ट हो, जनता को उपलब्ध करा दिया जाता है, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव यदि कोई हो, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यापार चिह्न (.... संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. व्यापार चिह्न नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची के स्तंभ 3 में,—

(क) क्रम सं. 1,3,4,5,6 और 7 के सामने आने वाली प्रविष्टियां "3500.00" के स्थान पर "4000.00" प्रविष्टि रखी जाएगी; और

(ख) क्रम सं. 71 के सामने आने वाली प्रविष्टि "12500.00 के स्थान पर "20000.00" प्रविष्टि रखी जाएगी।

3. मूल नियमों के प्रारूप फार्म व्या.चि.-1 में प्रविष्टि "3500" के स्थान पर "4000" प्रविष्टि रखी जाएगी।

4. मूल नियमों के प्रारूप टी एम-51 और प्रारूप टी एम-52 में प्रविष्टि "3500" के स्थान पर "4000" प्रविष्टि रखी जाएगी।

5. मूल नियमों में प्रारूप व्या. चि.-63 में प्रविष्टि "12500" के स्थान पर "20000/-" रुपए प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. 8/26/2013-आईपीआर-IV]

डी.वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 114 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:—

1. सा.का.नि. 428 (अ) तारीख 20 मई, 2010; और

2. सा.का.नि. 1024 (अ) तारीख 29 दिसम्बर, 2010

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2013

G.S.R.523 (E).—The following draft of certain rules to further amend the Trade Marks Rules, 2002, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), is hereby published, as required by sub-section (4) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date on which the Official Gazette, containing the notification, are made available to the public;

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any may be sent to the Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion), Udyog Bhavan, New Delhi-110 011.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement -

(1) These rules may be called the Trade Marks (-Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Trade Marks Rules, 2002 (hereinafter referred to as principal rules), in the First Schedule, in column 3,-

(a) against serial numbers 1,3,4,5,6 and 7 for the entries "3500.00", the entry, "4000.00" shall be substituted; and

(b) against serial number 71 for the entry "12500.00", the entry "20000.00" shall be substituted.

3. In the principal rules, in FORM TM-1, for the entry "3500", the entry "4000" shall be substituted.

4. In the principal rules, in FORM TM-51 and FORM TM-52, for the entries "3500", the entry "4000" shall be substituted.

5. In the Principal rules, in FORM TM-63, for the entry of "12500" the entry "Rs. 20000/" shall be substituted:

[F.No. 8/26/2013-IPR-IV]

D.V. PRASAD, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R 114 (E), dated, 26th day of February 2002, and subsequently amended as follows:-

1. G.S.R 428 (E) dated, 20th May, 2010; and

2. G.S.R 1024 (E) dated, 29th December, 2010.